# (हरियाणा) भू–परीरक्षण अधिनियम, 1900

## विषय–सूची

### प्रारंभिक


| धाराएं | | |
|---|---|---|
| 1. | संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। | |
| 2. | **साधारण परिभाषाएं**<br>परिभाषाएं। | |
| 3. | **क्षेत्रों की अधिसूचना और विनियमन**<br>क्षेत्रों की अधिसूचना | |
| 4. | अधिसूचित क्षेत्रों में साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विषय विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। | |
| 5. | कतिपय मामलों में, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर कतिपय अतिरिक्त विषयों को विशेष आदेश द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। | |
| 5–क. | संकर्मों के निष्पादन की तथा उपाय करने की अपेक्षा की शक्ति। | |
| 6. | धारा 4, 5, और 5–क के अधीन आदेश में विनियम, निर्बन्धन या प्रतिषेध वर्णित किए जाने की आवश्यकता। | |
| 7. | **आदेश का प्रकाशन**<br>विनियमनों, निर्बन्धनों और प्रतिषेध की उद्घोषणा तथा ऐसे अधिकारों के लिए, जो निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध है, प्रतिकर हेतु दावों का ग्रहण। | |
| 7–क | समय, जिसके भीतर संकर्म निष्पादित किया जाएगा, नियत करने की शक्ति, आदि | |
| 8. | **चोओं के पाट पर नियंत्रण**<br>उस समय कार्यवाही, जब राज्य सरकार चोओं के पाटों को विनियमित करने के लिए उपाय करना वांछनीय समझे। राज्य सरकार में ऐसे पाटों का निहित होना। | |
| 9. | धारा 8 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में प्राइवेट अधिकारो को निलम्बित या निर्वापित करने के लिए अधिसूचना का प्रभाव। | |
| 10. | उपायुक्त की, पाट परिसीमित करने की, और यह विनिश्चित करने की कि ऐसे पाट में क्या समाविष्ट होता है, शक्ति। पाट जब राज्य सरकार में निहित हो, तो उसका कब्जा लेने की शक्ति। | |
| 11. | धारा 8, 9 या 10 के अधीन किए गए कार्यों के लिए प्रतिकर का वर्णन। | |
| 12. | (निरसित) | |
| 13. | **अधिसूचित क्षेत्रों तथा पाटों पर प्रवेश तथा उन्हें परिसीमित करने की शक्ति ।**<br>धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों पर प्रवेश करने, उनका सर्वेक्षण और सीमांकन करने की शक्ति। | |

| | | |
|---|---|---|
| | **दावों की जांच तथा प्रतिकार के संबंध में अधिनिर्णय** | |
| 14. | दावों की जांच तथा उनके संबंध में अधिनिर्णय। | |
| 15. | प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का ढंग तथा ऐसे अधिनिर्णय का प्रभाव। | |
| | **प्रक्रिया, अभिलेख तथा अपीलें** | |
| 16. | अधिसूचित क्षेत्र के बारे में अधिकारों का अभिलेख। | |
| 17. | अधिनियम के अधीन अधिसूचना उद्घोषित करने का और जारी किए गए नोटिस, आदेश और आदेशिकाएं तामील करने का ढंग। | |
| 18. | अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण। | |
| | **शास्तियों, वादों का वर्जन तथा नियम** | |
| 19. | अपराधों के लिए शास्ति। | |
| 20. | भारतीय वन, अधिनियम, 1927 के उपबन्धों का लागू होना। | |
| 21. | वादों का वर्जन। | |
| 22. | नियम बनाने की शक्ति। | |

# [11][हरियाणा] भू–परीरक्षण अधिनियम, 1900[1]

## (1900 का पंजाब अधिनियम संख्या 2)

(मूल अंग्रेजी पाठ पंजाब के महामहिम लैफ्टीनेन्ट–गवर्नर की अनुमति 28 अगस्त, 1900 को तथा महामहिम वाइसराय एवं गवर्नर जनरल की अनुमति 10 अक्तूबर, 1900 को प्राप्त हुई। अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन हेतु हरियाणा के राज्यपाल का प्राधिकार 25 फरवरी, 1974 को प्राप्त हुआ और वह हरियाणा राजपत्र (असाधारण भाग 1) में तिथि 27 फरवरी, 1974 को पृष्ठ 161–172 पर प्रकाशित हुआ। यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खंड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| वर्ष | संख्या | संक्षिप्त नाम | विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित |
| 1900 | 2 | [11][हरियाणा] भू–परीरक्षण अधिनियम, 1900 | 1905 के पंजाब अधिनियम, 4[2] तथा 1926 के पंजाब अधिनियम 7[1] और 8[4] द्वारा संशोधित।<br><br>भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा संशोधित।<br>1942 के पंजाब अधिनियम 11 द्वारा संशोधित[5]<br><br>1944 के पंजाब अधिनियम 4 द्वारा संधोधित[6]। भारतीय स्वातन्त्रय बंगाल और पंजाब अधिनियमों का अनुकूलन) आदेश, 1948 (गवर्नर जनरल ओदश 40) द्वारा संशोधित<br><br>1950 के पंजाब अधिनियम 7 द्वारा संशोधित[7]<br><br>विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधित<br><br>विधि अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा संशोधित<br><br>1951 के पंजाब अधिनियम 1 द्वारा संशोधित[8]।<br><br>1956 के पंजाब अधिनियम 18 द्वारा उन राज्यक्षेत्रों में प्रसारित किया गय, जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में समाविष्ट थे। 1958 के पंजाब अधिनियम 18[9] द्वारा उन राज्यक्षेत्रों में प्रसारित, जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यसंघ में समाविष्ट थे।<br><br>हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968[10]।<br><br>2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा संशोधित। |

1. उद्देश्यों तथा कारणों के निकरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1899, भाग V–ए, पृष्ठ 13.
2. उद्देश्यों तथा कारणों केवेवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1905, भाग V, पृष्ठ 137.
3. उद्देश्यों तथा कारणों विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1926, भाग V, पृष्ठ 28. यह 16 अगस्त, 1926 को प्रवृत हुआ।
4. उद्देश्यों तथा कारणकै विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1926, भाग 1, पृष्ठ 544. यह 16 अगस्त, 1926 को प्रवृत हुआ।
5. उद्देश्यों तथा कार्यों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1942, असाधारण, पृष्ठ 255.
6. उद्देश्यों तथा काणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1943, असाधारण, पृष्ठ 45–46.
7. उद्देश्यों तथा हरणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र, 1950, असाधारण, पृष्ठ 159.
8. उद्देश्यों तथा कारणों के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र 1951, असाधारण, पृष्ठ 100.
9. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1958, पृष्ठ 546.
10. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), तिथि 29 अक्तूबर, 1968.
11. 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 01–11–1966.

| | |
|---|---|
| | **[7][हरियाणा] भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900**<br>**(1900 का पंजाब अधिनियम 2)**<br><br>[1][हरियाणा] के राज्यक्षेत्रों के कतिपय प्रभागों के बेहतर परिरक्षण और संरक्षण हेतु उपबन्ध करने के लिए<br><br>**अधिनियम 1**<br>एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–– |
| | **प्रारम्भिक** |
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। | 1. (1) यह अधिनियम [7][हरियाणा] भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900 कहा जा सकता है, और<br>[2][(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण (हरियाणा)1 राज्य में होगा।]<br>[3][(3) यह "(मूल राज्यक्षेत्र में तुरन्त तथा अन्तरित राज्य क्षेत्रों में 15 मई, 1958) को प्रवृत्त होगा।] |
| परिभाषाएं।<br><br>1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16। | 2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत नहीं होता,<br>(क) "भूमि" पद से अभिप्रेत है, किसी क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में परिरक्षित और संरक्षित या अन्यथा संव्यहृत भूमि, तथा इसके अन्तर्गत है, भूमि से उद्भूत लाभ और भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप में जकड़ी हुई वस्तुएं;<br>(ख) "चो" पद से अभिप्रेत है, [हरियाणा][1] के भीतर, शिवालिक पर्वत–माला के बीच से होकर या उससे निकलकर बहने वाला कोई स्रोत या वेगधारा ;<br>(ग) "वृक्ष" "इमारती लकड़ी", "वन–उपज", तथा "पशु" पदों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे, जो उन्हें [7][भारतीय वन अधिनियम, 1927][5] की धारा 2 में पृथक् पृथक् दिए गए हैं;<br>(घ) "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अन्तर्गत हैं, सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के कारण दिए जाने वाले किसी प्रतिकर में किसी हित का दावा करते हों;<br>(ङ) "उपायुक्त" पद के अन्तर्गत है, इस अधिनियम के अधीन किसी उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए (राज्य) सरकार द्वारा किसी समय विशेष रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या अधिकारीगण, |

1. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उपधारा (2), 1942 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 4 (क) द्वारा रखी गई तथा 1944 के पंजाब अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित, धारा 2 (ख), 1951 के पंजाब अधिनियम 1, धारा 2 द्वारा वर्तमान उपधारा के विरुद्ध प्रतिस्थापित की गई।
3. पुरानी उपधारा (2), 1942 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 4 (क) द्वारा उपधारा (3) के रूप में पुनः संख्यांकित की गई थी।
4. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा जोड़ी गई।
5. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 3 (ख) द्वारा "1878" अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित, देखिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), धारा 2.
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 2021 के हैं. अन् 15 द्वारा प्रतिस्थापित (w.e.f. 01–11–1966).

| | |
|---|---|
| | [1][(च) "अधिकार धारी" पद के अन्तर्गत हैं ––<br>(i) भूमि के प्रति या भूमि में अधिकार रखने वाले ऐसे व्यक्ति, जो अभिधारी या बन्धकदार नहीं हैं; तथा<br>(ii) व्यक्ति, जो वन–उपज के संग्रहण का या चराई का अधिकार रखते हैं; तथा |
| | (छ) "भू–क्षरण" पद के अन्तर्गत है, वायु या जल की क्रिया द्वारा भूमि, मिट्टी, पत्थरों या अन्य सामग्री का अपसारण या विस्थापन।] |
| | **क्षेत्रों की अधिसूचना और विनियमन** |
| क्षेत्रों की अधिसूचना | [2][3. जब कभी [3](राज्य) सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी ऐसे क्षेत्र में, जो भू–क्षरण के प्रभावाधीन है, या जिसका भू–क्षरण के प्रभावाधीन होना संभाव्य है, भूगत जल के संरक्षण या भू–क्षरण के निवारण के लिए उपबन्ध करना वांछनीय है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा तदनुसार कोई निदेश कर सकती है।] |
| अधिसूचित क्षेत्रों में साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विषय विनियमित, निर्बन्धित या, प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। | 4. धारा 3 के अधीन अधिसूचित सभी क्षेत्रों के बारे में, या ऐसे किसी सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के बारे में, [3][राज्य] सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकती है :––<br>(क) किसी ऐसी भूमि को, जो धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः खेती के अधीन नहीं<br>(ख) ऐसे स्थानों पर पत्थरों की खदान–क्रिया या चूने का जलाया जाना, जहां धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः इस प्रकार ऐसे पत्थर की खदान–क्रिया नहीं की गई थी या ऐसे चूने को जलाया नहीं गया था;<br>[4](ग) [ऐसे क्षेत्र में अधिकारधारी] के वास्तविक घरेलू या कृषिक प्रयोजनों के सिवाय वृक्षों या इमारती लकड़ी का काटना या घास से भिन्न किसी वन उपज का संग्रहण या हटाया जाना या उसको, इस उप धारा के खण्ड (ख) में यथावर्णित से अन्यथा किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन करना;<br>(घ) वृक्षों, इमारती लकड़ी या वन–उपज को आग लगाना;<br>(ङ) [5][भेड़ों बकरियों, या ऊंटों] का प्रवेश, झुंड बनाना, चराना या उनका प्रतिधारण;<br>(च) ऐसे किसी क्षेत्र से बाहर जाने वाली वन–उपज का परीक्षण;<br>(छ) ऐसे किसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या उनके समीपस्थ नगरों और ग्रामों के निवासियों को, वहां से अपने निजी प्रयोग के लिए कोई वृक्ष, काष्ठ या वन–उपज प्राप्त करने के लिए या भेड़ों, [5][भेड़ों बकरियों, या ऊंटों] को चराने के लिए या वहां खेती करने या निर्माण परिनिर्मित करने के लिए अनुज्ञापत्र देना तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्रों का प्रस्तुत किया जाना और वापस किया जाना। |

1. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 3 (घ) द्वारा जोड़ी गई।
2. 1942 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 5 द्वारा पुरानी धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 4 (क) द्वारा जोड़ी गई।
5. उक्त, धारा 4 (ख) द्वारा या बकरियों शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

| | |
|---|---|
| कतिपय मामलों में, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर कतिपय अतिरिक्त विषयों को विशेष आदेश द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति | 5. धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी विनिर्दिष्ट ग्राम या ग्रामों या उनके भाग या भागों के बारे में [1][राज्य] सरकार, विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकती है :––<br>(क) धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः खेती के अन्तर्गत किसी भूमि पर खेती करना ;<br>(ख) ऐसे स्थानों पर, पत्थर की खदान क्रिया या चूने का जलाना, जहां धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः इस प्रकार ऐसे पत्थर की खदान–क्रिया की गई थी या ऐसे चूने को जलाया गया था;<br>(ग) [2][किन्हीं प्रयोजनों के लिए] वृक्षों या इमारती लकड़ी का काटना या किसी वन–उपज का संग्रहण या हटाया जाना या उसको, इस उपधारा के खण्ड (ख) में यथावर्णित से अन्यथा किसी विनिर्माण, प्रक्रिया के अधीन करना; तथा<br>(घ) [3][भेड़ों बकरियों, या ऊंटों]से भिन्न सभी पशुओं का या ऐसे पशुओं के किसी वर्ग या प्रकार का प्रवेश, झुंड बनाना, चराना या उनका प्रतिधारण। |
| संकर्मों के निष्पादन की तथा उपाय करने की अपेक्षा की शक्ति। | [4][5–क. धारा 3 के अधीन अधिसूचित सभी क्षेत्रों के बारे में या ऐसे किसी सम्पूर्ण क्षेत्र या उस के किसी भाग के बारे में [1][राज्य] सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए निदेश कर सकती हैः––<br>(क) खेतों को समतल करना, सीढ़ीदार बनाना, उनका जल–निकास और तटबन्धन करना;<br>(ख) खेतों और उप–घाटियों में धुस्सों का सन्निर्माण;<br>(ग) बरसाती जल के लिए नालियों की व्यवस्था;<br>(घ) वायु या जल की क्रिया के प्रभाव से भूमि का संरक्षण;<br>(ङ) स्रोतों को साधना; तथा<br>(च) ऐसे अन्य संकर्मों का निष्पादन और ऐसे अन्य उपायों को कार्यान्वित करना, जो [4][राज्य सरकार][1] की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।] |
| धारा 4, 5 और 5–क के अधीन आदेश में विनियमन, निर्बन्धन या प्रतिषेध वर्णित किए जाने की आवश्यकता। आदेश का प्रकाशन। | 6. [5][धारा 4, 5 या 5–क] के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश [6][राजपत्र] में प्रकाशित किया जाएगा तथा यह उपवर्णित किया जाएगा कि [1][राज्य] सरकार का सम्यक् जांच के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि आदेश में अन्तर्विष्ट विनियमन, निर्बन्धन [7][प्रतिषेध या निदेश], इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। |

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1905 के पंजाब अधिनियम 4 द्वारा "वास्तविक घरेलू या कृषिक प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 5 द्वारा "तथा बकरियों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उक्त द्वारा, धारा 6 द्वारा रखी गई।
5. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 7 (क) द्वारा "धारा 4 या धारा 5" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 7 (ख) द्वारा "या प्रतिषेध" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

| | |
|---|---|
| विनियमनों, निर्बन्धनों और प्रतिषेध की उद्घोषणा तथा ऐसे अधिकारों के लिए जो निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध है, प्रतिकर हेतु दावों का ग्रहण। | 7. (1) जब किसी क्षेत्र के बारे में धारा 3 के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है, और––<br>(क) ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर धारा 4 [1][या धारा 5–क] के अधीन किया गया कोई साधारण आदेश ऐसे क्षेत्र को लागू हो जाता है; या<br>(ख) ऐसे क्षेत्र के बारे में [2][धारा 4, 5 या 5–क] के अधीन कोई विशेष आदेश किया जाता है,<br>तो उपायुक्त, ऐसे साधारण या विशेष आदेश के उपबन्धों का सार्वजनिक नोटिस दिलाएगा और यदि ऐसे किसी आदेश के उपबन्ध किन्हीं विद्यमान अधिकारों के [3][प्रयोग को निर्बन्धित] या प्रतिषिद्ध करते हैं, तो प्रत्येक ऐसे नगर और ग्राम में, जिसकी सीमाओं में ऐसे किसी क्षेत्र का भाग सम्मिलित है, और जिसमें या जिस पर ऐसे [3][किन्हीं अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार निर्बिन्धत या प्रतिषिद्ध किया गया है] देशीय भाषा में एक उद्घोषणा भी प्रकाशित करेगा, जिसमें ऐसे विनियमन, निर्बन्धनों और प्रतिषेधों का, जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग या भागों में ऐसे किसी आदेश द्वारा अधिरोपित किए गए हैं, उल्लेख होगा और ऐसी उद्घोषणा की तिथि से तीन मास से अन्यून, अवधि नियत की जायेगी और इस प्रकार निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किसी अधिकार के बारे में किसी प्रतिकर का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि या तो वह ऐसी अवधि के भीतर ऐसे अधिकार का स्वरूप और परिमाण तथा उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकर (यदि कोई हो) की राशि और विशिष्टयां विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित अभ्यावेदन ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करे या उसके समक्ष उपस्थित होकर ऐसे अधिकार का स्वरूप और परिमाण तथा उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकर की राशि और विशिष्टियां बयान करें।<br>(2) उपधारा (1) के अधीन की गई उद्घोषणा में नियत समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया कोई दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा :<br>परन्तु संबद्ध आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से उपायुक्त, ऐसे किसी दावे को इस प्रकार ग्रहण कर सकता है मानो वह ऐसी अवधि के भीतर किया गया था। |
| समय, जिसके भीतर संकर्म निष्पादित किया जाएगा, नियत करने की शक्ति, आदि। | [5][7–क. (1) जब धारा 5–क के अधीन कोई आदेश जारी हुआ है, तब उपायुक्त, नोटिस द्वारा, भूमि के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे संकर्म निष्पादित करने या ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं।<br>(2) ऐसे प्रत्येक नोटिस ऐसे समय का उल्लेख होगा, जिसके भीतर संकर्म निष्पादित किए जाने हैं या उपाय किए जाने हैं।<br>(3) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी नोटिस में अन्तर्वष्ट किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस की तामील की तिथि से तीस दिन के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो उपायुक्त उसे इस निमित्त अनुज्ञात करे, अपने आक्षेपों के किसी नोटिस की तामील उपायुक्त पर ऐसी रीति में करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्धित की जाए।<br>(4) यदि और जहां तक इस धारा के अधीन कोई आक्षेप नोटिस में या उसके सम्बन्ध में किसी, अनोपचारिकता, त्रुटि या गलती पर आधारित है तो उपायुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनोपचारिकता, त्रुटि या गलती तात्त्विक नहीं है, तो वह आक्षेप खारिज कर देगा। |

1. वही, धारा 8 (ख) द्वारा रखी गई।
2. वही, धारा 8 (ग) द्वारा "धारा 4 या धारा 5" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1926 के पंजाब अधिनियम 7, धारा 4 द्वारा "निर्वापन करना" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. वही, धारा 4 द्वारा "किन्हीं अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार निर्बन्धित या निर्वापन करना" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 9 द्वारा रखी गई।

(5) यदि आक्षेप निम्नलिखित आधारों में से सभी या किसी पर लाया जाता है, अर्थात् :––

(क) नोटिस की तामील, प्रश्नगत भूमि के स्वामी के स्थान पर उसके अधिभोगी को या अधिभोगी के स्थान पर स्वामी को विधिपूर्वक की जा सकती थी, और उसका इस प्रकार तामील किया जाना साम्यापूर्ण होता;

(ख) कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो स्थायी अधिभोग अभिधारी, कब्जाधारी बंधकदार है या पट्टेदार या फार्मधारी है या लाभान्वित होने वाली भूमि में या उस पर कुछ अन्य अधिकार रखने वाला है, अपेक्षित किन्हीं संकर्मों के निष्पादन या किन्हीं उपायों के करने के व्ययों के प्रति अभिदाय करने के लिए बाध्य है;

(ग) जहां संकर्म या उपाय, प्रश्नगत भूमि और अन्य भूमि के सामान्य लाभ के लिए संकर्म या उपाय है, वहां कोई अन्य व्यक्ति, जो लाभान्वित होने वाली भूमि का स्वामी या अधिभोगी है, किन्हीं अपेक्षित संकर्मों के निष्पादन या किन्हीं उपायों को करने के व्ययों के प्रति अभिदाय करने के लिए बाध्य है;

तो आक्षेपकर्ता निर्दिष्ट प्रत्येक अन्य व्यक्ति पर आक्षेप के अपने नोटिस की एक प्रति की तामील करेगा तथा आक्षेप की सुनवाई पर, उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा कोई संकर्म निष्पादित किया जाना है या उपाय किया जाना है तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकर्म या उपाय की लागत के लिए अभिदाय किया जाना है, या उन अनुपातों के बारे में जिनके अनुसार कोई खर्च, जो उपधारा (6) के अधीन उपायुक्त द्वारा वसूली योग्य बनते हों, आक्षेपकर्ता तथा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा वहन किये जाने हैं, ऐसा आदेश कर सकता है, जो वह उचित समझता है;

परन्तु ऐसे कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को, जिसके उस आदेश द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

उपायुक्त इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने में निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :––

(क) किसी स्वामी तथा किसी अधिभोगी के बीच अभिधृति के निबन्धन और शर्तें, चाहे वे संविदात्मक हों या कानूनी तथा अपेक्षित संकर्मों और उपायों का स्वरूप; तथा

(ख) किसी दशा में, विभिन्न सम्बद्ध व्यक्तियों को व्युत्पन्न फायदे का परिमाण।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी संकर्म को निष्पादित करने या किसी उपाय को करने के लिए इस धारा के अधीन किसी नोटिस या किसी आदेश द्वारा अपेक्षित किसी भी व्यक्ति से, ऐसे नोटिस या आदेश का अनुपालन करने से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(7) यथापूर्वोक्त आक्षेप के ऐसे अधिकार तथा धारा 18 के अधीन अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, यदि संकर्मों का निष्पादन करने के लिए या उपाय करने के लिए नोटिस द्वारा अपेक्षित व्यक्ति, तद्वारा परिसीमित समय के भीतर उपदर्शित संकमर्मों को निष्पादित करने या उपाय करने में असफल रहता है, तो उपायुक्त, स्वयं अभिकर्ता के माध्यम से संकर्मों को निष्पादित कर सकता है या उपाय कर सकता है तथा उस व्यक्ति से ऐसा करने में अपने द्वारा युक्तियुक्त रूप से किये गये व्यय वसूल कर सकता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व, उपायुक्त के लिए उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन आक्षेप से भिन्न किसी आक्षेप के विनिश्चय के लिए या ऐसे आक्षेप के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील के लिए, प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा।

(8) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी संकर्म या किए गए किसी उपाय की लागत उपायुक्त द्वारा इस निमित्त जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि के या ऐसी अन्य तिथि के पश्चात्, जो उसके द्वारा नियत की गई है, उस व्यक्ति द्वारा असंदत्त रहती है, जिससे वह देय है, तो ऐसी लागत भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी और इस निमित्त उपायुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र, इस प्रकार वसुली योग्य राशि का अंतिम और निश्चायक साक्ष्यहोगा और वह व्यक्ति उसके लिए दायी होगा।

| | |
|---|---|
| | (9) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए, तथा ऐसे प्रकाशन पर तद्वारा प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसे उसका सम्यक् नोटिस था, जब तक प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए।<br>(10) उपायुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी ऐसे आक्षेप के सम्बन्ध में, जो इस धारा के अधीन प्रस्तुत किया जाए, जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है :<br>परन्तु ऐसे किसी आक्षेप पर कोई भी अन्तिम आदेश स्वयं उपायुक्त के सिवाय किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा।<br>(11) इस धारा के अधीन किए गए आक्षेपों पर कोई आदेश करने में उपायुक्त का मार्गदर्शन ऐसे नियमों द्वारा, यदि कोई हों, किया जाएगा, जो [1][राज्य] सरकार इस निमित्त बनाए।<br>1877 का 17। (12) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सम्पदा" पद का वही अर्थ होगा, जो [1][हरियाणा] भू–राजस्व अधिनियम, 1887 में उसे दिया गया है।] |
| | **चोओं के पाट पर नियंत्रण** |
| उस समय कार्यवाही जब राज्य सरकार चोओं के पाटों को विनियमित करने के लिए उपाय करना वांछनीय समझे। राज्य सरकार में ऐसे पाटों का निहित होना। | 8. (1) जब कभी [1][राज्य] सरकार को प्रतीत होता है कि किसी चो के पाट में ––<br>(क) ऐसे पाट के भीतर जल के प्रवाह को विनियमित करने तथा उसके चौड़े होने या विस्तार को रोकने; या<br>(ख) ऐसे पाट की सीमाओं के भीतर स्थित किसी भूमि का उद्धार या संरक्षण करने; के प्रयोजनों के लिए उपाय करना वांछनीय है;<br>तो ऐसी सरकार या तो तुरन्त उपधारा (2) में उपबंधित रीति में कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगी या प्रथमतः किए जाने वाले उपायों के स्वरूप तथा परिमाण को और उस परिक्षेत्र को, जिसमें तथा उस समय को, जिसके भीतर ऐसे उपाय इस प्रकार किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना द्वारा ऐसे परिक्षेत्र में स्थित भूमि में साम्पत्तिक अधिकार या अधिभोग–अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकती है कि वे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपायों को स्वयं तदनुसार कार्यान्वित करें।<br><br>(2) यदि किसी चो का सम्पूर्ण पाट या उसका कोई भाग अदावाकृत है या यदि [1][राज्य] सरकार की राय में उपधारा (1) के अधीन आवश्यक समझे गए उपाय, परिमाण और लागत की दृष्टि से इस स्वरूप के हैं कि [1][राज्य सरकार] का हस्तक्षेप आत्यंतिक रूप से आवश्यक है, या उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की अपेक्षाओं का किसी चो के पाट के किसी भाग के स्वामी या अधिभोगी के अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, ऐसी सरकार, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि किसी चो के पाट की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का सम्पूर्ण या कोई भाग, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन (यदि कोई हों), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, राज्य सरकार में निहित हो जाएगा :<br><br>परन्तु ऐसी कोई भी घोषणा किसी ऐसे चो की सीमाओं के भीतर सम्मिलित ऐसी किसी भूमि के बारे में नहीं की जाएगी, या उसको प्रभावित नहीं करेगी, जिस पर, ऐसी घोषणा करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को खेती की जाती है या जो खेती के योग्य है, या महत्वपूर्ण मूल्य की कोई उपज पैदा करती है। |

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अनुकूलन, तृतीय संशोधन "आदेश, 1951 द्वारा" प्रांत के प्रयोजनों के लिए "महामहिम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित। w.e.f. 1.11.1966

| | |
|---|---|
| | (3) जब ऐसे परिक्षेत्र का स्वामी या अधिभोगी ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में आपस में सहमत होने में असमर्थ हों, तो भू–राजस्व की अधिकतर राशि संदत्त करने वालों का विनिश्चय सभी पर आबद्धकर होगा।<br><br>(4) [1][राज्य] सरकार, समय–समय पर तत्सदृश अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि बढ़ा सकती है, जिसके दौरान ऐसा कोई क्षेत्र [2][राज्य सरकार] में निहित रहेगा। |
| धारा 8 की के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में प्राइवेट अधिकारों को निलम्बित या निर्वापित करने के लिए अधिसूचना का प्रभाव। | 9. धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा के किए जाने पर, ऐसी घोषणा अन्तर्विष्ट करने वाली अधिसूचना में उसके प्रकाशन के समय उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भूमि में विद्यमान या उससे सम्बन्धित सभी प्राइवेट अधिकार, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, [3][घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए (यदि कोई हो) जिस तक ऐसी अवधि किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है, निलम्बित किए जाएंगे :]<br><br>परन्तु जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के बारे में मार्ग और जल के ऐसे अधिकारों को आरक्षित रखा जाएगा, जो ऐसे व्यक्तियों (यदि कोई हों) की, जो ऐसी घोषणा के समय ऐसे क्षेत्र पर कोई अधिकार रखते थे, युक्तियुक्त अपेक्षाओं तथा सुविधा को पूरा करने के लिए आवश्यक हों। |
| उपायुक्त की पाट परिसीमित करने की, और यह विनिश्चित करने की कि ऐसे पाट में क्या समाविष्ट होता है, शक्ति। पाट जब राज्य सरकार में निहित हो, तो उसका कब्जा लेने की शक्ति। | 10. (1) उपायुक्त धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए चो के पाट के भीतर समाविष्ट क्षेत्र की ऐसी सीमाएं नियत करेगा, जिनको ऐसी अधिसूचना लागू होनी है।<br>(2) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, उपायुक्त के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ––<br><br>(क) ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का कब्जा प्राप्त कर लें;<br><br>(ख) वहां से सभी व्यक्तियों की बेदखल कर दें; तथा<br><br>(ग) ऐसे क्षेत्र के [1][राज्य सरकार] में निहित रहने के दौरान उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करें, मानो वह [1][राज्य सरकार] की आत्यन्तिक सम्पत्ति है। |
| धारा 8. 9 या 10 के अधीन किए गए कार्यों के लिए प्रतिकर का वर्जन। | 11. कोई भी व्यक्ति, धारा 8, धारा 9 या धारा 10 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी समय सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के लिए, किसी प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा। |
| इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के विक्रय के बारे में शर्त और ऐसी भूमि पर व्यय की हुई धन– राशियों का लेखा रखने की स्थानीय शासन की बाध्यता। | 12. 1926 के अधिनियम 8 की धारा 4 द्वारा निरसित। |

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन, तृतीय संशोधन "आदेश, 1951 द्वारा" प्रांत के प्रयोजनों के लिए महामहिम शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1926 के पंजाब अधिनियम 8, धारा 3 द्वारा पुराने खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

| | |
|---|---|
| | **अधिसूचित क्षेत्रों तथा पाटों पर प्रवेश तथा उन्हें परिसीमित करने की शक्ति** |
| धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों पर प्रवेश करने, उन का सर्वेक्षण और सीमांकन करने की शक्ति। | 13. उपायुक्त तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों, सेवकों, अभीक्षकों तथा कर्मकारों के लिए, अवसर की अपेक्षानुसार समय–समय पर यह विधिपूर्ण होगा कि वे ––<br><br>(क) किसी क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भूमि पर, जिसके बारे में धारा 3 या धारा 8 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है [1][या जिसके बारे में धारा 5–8क के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जानी प्रस्थापित है,] प्रवेश करें तथा उसका सर्वेक्षण करें;<br><br>(ख) ऐसे किसी पाट पर पीठ–चिह्नों का परिनिर्माण करें तथा उसका परिसीमन और सीमांकन करें;<br><br>(ग) किसी भूमि के पर्याप्त परिरक्षण या संरक्षण के लिए या इस अधिनियम के उपबन्धों में से सभी या किसी को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य तथा कार्यवाहियां करें, जो आवश्यक हों:<br><br>परन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन किन्हीं संक्रियाओं को कार्यान्वित करते हुए किसी व्यक्ति की सम्पत्ति या अधिकारों को हुई किसी हानि या क्षति के बारे में इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में निर्धारित और अवधारित किया जाने वाला युक्तियुक्त प्रतिकर दिया जाएगा, किन्तु उक्त उपबन्धों के अधीन, धारा 8 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर की गई किसी कार्यवाही के बारे में ऐसा कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा। |
| | **दावों की जांच तथा प्रतिकर के संबंध में अधिनिर्णय** |
| दावों की जांच तथा उनके संबंध में अधिनिर्णय। | 14. (1) उपायुक्त––<br><br>(क) धारा 7 के अधीन किए गए सभी दावों की जांच के लिए तिथि नियत करेगा तथा स्वविकेकानुसार समय–समय पर अपने द्वारा नियत की जाने वाली तिथि तक जांच स्थगित कर सकता है;<br><br>(ख) धारा 7 के अधीन किए गए सभी कथनों को अभिलिखित करेगा;<br><br>(ग) धारा 7 के अधीन सम्यक् रूप से किए गए सभी दावों की जांच करेगा; तथा<br><br>(घ) ऐसे प्रत्येक दावे के संबंध में अधिनिर्णय करेगा, जिसमें दावाकृत अधिकार का स्वरूप तथा परिमाण, ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति या व्यक्तिगण, वह परिमाण (यदि कोई हो), जिस तक तथा व्यक्ति या व्यक्तिगण जिनके पक्ष में, दावाकृत अधिकार सिद्ध किया जाता है, परिमाण, जिस तक उसे निर्बन्धित या [2][प्रतिषिद्ध] किया जाना है तथा प्रतिकर (यदि कोई अधिनिर्णीत किया गया हो) का स्वरूप और राशि, उपवर्णित की जाएगी। |
| 1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5. | (2) ऐसी प्रत्येक जांच के प्रयोजनों के लिए, उपायुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वादों के विचारण के संबंध में किसी सिविल न्यायालय की शक्तियों में से सभी या किसी का प्रयोग कर सकता है। |

1. 1944 ने पंजाब अधिनियम 4, धारा 10 (ख) द्वारा रखे गए।
2. 1926 के पंजाब अधिनियम 7, धारा 5 द्वारा "निर्वाचन करना" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

| | | |
|---|---|---|
| | (3) उपायुक्त ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों या उनके प्रतिनिधियों को, जो उपस्थित हों, अपना अधिनिर्णय आख्यापित करेगा और जो इसे स्वीकार करें, उनकी स्वीकृति अभिलिखित करेगा। ऐसे व्यक्तियों को, जो उपस्थित न हों, उपायुक्त अपने अधिनिर्णय का तत्काल नोटिस दिलाएगा। | |
| प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का ढंग तथा ऐसे अधिनियम का प्रभाव। | 15. (1) प्रतिकर की राशि अवधारित करने में, उपायुक्त का मार्गदर्शन, जहां तक हो सके, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 के उपबन्धों द्वारा, तथा उन विषयों के बारे में, जिनके संबंध में उन उपबन्धों के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में जो भी युक्तियुक्त और न्यायसंगत हो, उसके द्वारा किया जाएगा।<br><br>(2) उपायुक्त [1][राज्य सरकार] की स्वीकृति तथा अधिकार प्राप्त व्यक्ति की सम्मति से, धनराशि के स्थान पर भूमि के रूप में या राजस्व में कटौती द्वारा या किसी अन्य रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है।<br><br>(3) यदि, किसी मामले में, किसी अधिकार का प्रयोग केवल किसी समय के लिए प्रतिषिद्ध किया जाता है, तो प्रतिकर केवल ऐसी अवधि के संबंध में अधिनिर्णीत किया जाएगा, जिसके दौरान ऐसे अधिकार का प्रयोग इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया जाता है। | 1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1. |
| | **प्रक्रिया, अभिलेख तथा अपीलें** | |
| अधिसूचित क्षेत्र के बारे में अधिकारों का अभिलेख। | 16. (1) उपायुक्त, धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए, धारा 4 और 5 में वर्णित ऐसे सभी अधिकारों के, जो ––<br><br>(क) धारा 3 या धारा 8 के अधीन उनके संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन के समय ऐसे क्षेत्र के भीतर विद्यमान है ;<br>(ख) धारा 4 या धारा 5 के अधीन आदेश द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या [2][प्रतिषिद] हैं;<br><br>स्वरूप, वर्णन, स्थानीय स्थिति तथा परिमाण को उपवर्णित करते हुए अभिलेख तैयार करेगा।<br><br>(2) जब कोई अधिनिर्णय धारा 14 के अधीन किया जाता है, तब उसमें किसी अधिकार पर पड़ने वाला उसका प्रभाव भी अभिलिखित किया जाएगा। | |
| अधिनियम के अधीन अधिसूचना उद्घोषित करने का और जारी किए गए नोटिस, आदेश और आदेशिकाएं तामील करने का ढंग। | 17. (1) उपायुक्त, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, उसके सार का सार्वजिनक नोटिस, किसी ऐसे परिक्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर करवाएगा, जिससे ऐसी अधिसूचना सम्बन्धित है।<br><br>(2) [2][हरियाणा] भू–राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 20, 21 तथा 22 में विहित प्रक्रिया का, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में, यावत्संभव अनुसरण किया जाएगा। | |

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 01.11.1996.

| | | |
|---|---|---|
| अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण। | 18. उपायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश तथा अधिनिर्णय, क्रमशः अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, [5][हरियाणा] राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 13, 14, 15 और 16 के अर्थान्तर्गत किसी कलक्टर का आदेश समझा जाएगा :<br><br>परन्तु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच किसी ऐसे विवाद को, जो ऐसे व्यक्तियों या उनमें से किन्हीं में प्रतिकर के प्रभाजन या वितरण के बारे में उत्पन्न हो, विनिश्चित करने की किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी। | 1887 का 17. |
| | **शास्तियां, वादों का वर्जन तथा नियम** | |
| अपराधों के लिए शास्ति। | 19. कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर [5][धारा] 4, 5, 5–क या 7–क के अधीन किए गए किसी विनियमन अधिरोपित निर्बन्धन या प्रतिषेध, किए गए आदेश या की गई अध्यपेक्षा का कोई भंग करता है] [2][या धारा 13 के अधीन किए जाने वाले कार्यों या की जाने वाली कार्यवाहियों के निष्पादन में बाधा डालता है या उनका किसी भी प्रकार से प्रतिरोध करता है,] तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक मास तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। | |
| भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्धों का लागू होना। | 20. [3][भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 (अन्तिम वाक्य को छोड़कर) 66, 67, 68 और 73 के उपबन्ध,] जहां तक लागू किए जा सकते हों, इस अधिनियम का भाग समझे जाएंगे, और उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए धारा 19 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध "वन अपराध" समझा जाएगा, तथा धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र के प्रबन्ध में अभीक्षक के रूप में या अन्यथा नियोजित प्रत्येक अधिकारी, वन अधिकारी समझा जाएगा। | |
| वादों का वर्जन। | 21. इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के लिए [2][सरकार] के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं हो सकेगा तथा किसी लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यत किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कोई भी वाद नहीं हो सकेगा। | |
| नियम बनाने की शक्ति। | 22. (1) [3][राज्य ] सरकार, इस अधिनियम से संगत ––<br><br>(क) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही में अनुपालनीय प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए; और<br>(ख) साधारणतः, इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए;<br><br>नियम बना सकती है।<br><br>(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम [4][राजपत्र] में प्रकाशित किए जाएंगे। | |

3. वही, धारा 11 (ख) द्वारा या धारा 4 धारा 5 के अधीन अधिरोपित निर्बन्धन या प्रतिषेध शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1950 के पंजाब अधिनियम 7, धारा 2 द्वारा रखे गए।
1. 1944 के पंजाब अधिनियम 4, धारा 12 द्वारा "भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 (अन्तिम वाक्य को छोड़कर) 64, 65, 66, 67 तथा 72 के उपबंध" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राजपत्र" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 01.11.1996.